SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-03| Issue-04| June- 2026
Available online at: https://shikshasamvad.com/
DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.10

साइबर अपराध और महिला सुरक्षा

श्वेता
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

शोध संक्षेप

प्रौद्योगिकी की तेज़ी से बढ़ती प्रगति ने हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन इसके साथ ही गंभीर जोखिम भी उत्पन्न हुए हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध एक तेजी से बढ़ती वैश्विक समस्या बन चुकी है, जो उनकी सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गहरा असर डालती है। यह शोध महिलाओं को निशाना बनाने वाले विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों जैसे साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, बदला अश्लीलता, मॉर्फिंग और फ़िशिंग का विश्लेषण करता है। गुणात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए, अध्ययन पीड़ित महिलाओं पर भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पड़ताल करता है, जिससे यह सामने आता है, कि 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं सबसे अधिक जोखिम में हैं। निष्कर्ष यह भी बताते हैं, कि सामाजिक स्तर पर पीड़ितों को दोषी ठहराना, कमजोर कानूनी सुरक्षा और जागरूकता की कमी साइबर हिंसा को बढ़ावा देती है। अध्ययन इस बात पर जोर देता है, कि मजबूत कानूनी ढांचे, डिजिटल सुरक्षा पर बेहतर शिक्षा, प्रौद्योगिकी कंपनियों की बढ़ी हुई जवाबदेही और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के जरिए ही ऑनलाइन वातावरण को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है। यह शोध स्पष्ट रूप से बताता है, कि महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार और सामाजिक न्याय का विषय है।

कूट शब्द: *साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, ऑनलाइन उत्पीड़न, बदला अश्लीलता, लिंग आधारित हिंसा, डिजिटल सुरक्षा, साइबर स्टॉकिंग, महिलाओं के अधिकार*

1. प्रस्तावना

आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर दोस्तों से बातचीत, पढ़ाई और काम तक, लगभग हर काम के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तकनीक ने हमारे जीवन को तेज, आसान और सुविधाजनक बना दिया है। लेकिन इन फायदों के साथ एक गहरा अंधेरा पक्ष भी है। आज के सबसे बड़े खतरों में से एक है,साइबर अपराध। **संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC, 2020) के अनुसार, "साइबर अपराध अंतरराष्ट्रीय अपराध के सबसे तेजी से बढ़ते रूपों में से एक है",** जो इसे वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों के लिए एक गंभीर खतरा बनाता है। साइबर अपराध उन अपराधों को कहा जाता है, जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। अपराधी कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। सभी पीड़ितों में महिलाओं को विशेष रूप से अधिक निशाना बनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उनकी सुरक्षा, गोपनीयता और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के उदाहरणों में ऑनलाइन पीछा करना, उत्पीड़न, ब्लैकमेल और साइबर बुलिंग इत्यादि

शामिल हैं। **एमनेस्टी इंटरनेशनल (2018) के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि "23% महिलाओं ने कम से कम एक बार ऑनलाइन दुर्व्यवहार या उत्पीड़न का सामना किया है," और उनमें से कई ने ऑनलाइन कम सुरक्षित महसूस करने की बात कही।**

कई बार, निजी तस्वीरें या वीडियो बिना अनुमति के सार्वजनिक कर दिए जाते हैं। कभी-कभी महिलाओं को अपमानित करने या उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए नकली प्रोफाइल भी बनाए जाते हैं। ये घटनाएं किसी के जीवन को पूरी तरह तबाह कर सकती हैं। **प्यू रिसर्च सेंटर (डुग्गन, 2017) के अनुसार, "महिलाएं, खासकर युवा महिलाएं, विशेष रूप से गंभीर प्रकार के ऑनलाइन दुर्व्यवहार, जैसे पीछा करना और लगातार उत्पीड़न का शिकार होती हैं।"**

इन समस्याओं को गहराई से समझना बेहद जरूरी है। यह शोध पत्र यह विश्लेषण करेगा कि साइबर अपराध महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है, महिलाएं अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य क्यों बनती हैं, और उन्हें बेहतर सुरक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है। इस अध्ययन में दो मुख्य कार्यपरिभाषाओं का उपयोग किया गया है:

- **साइबर अपराध**: कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसे डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किया गया अपराध।
- **महिला सुरक्षा**: महिलाओं को खतरे से बचाना और यह सुनिश्चित करना कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सुरक्षित महसूस करें।

कई अध्ययनों से पता चला है, कि महिलाएं अक्सर साइबर अपराधों की शिकार बनती हैं। नॉर्टन (NortonLifeLock, 2022) की रिपोर्ट के अनुसार, "**विश्व स्तर पर हर तीन में से एक महिला ने ऑनलाइन उत्पीड़न का अनुभव किया है।**" संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women, 2021) द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में यह सामने आया, कि **18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियां सबसे अधिक प्रभावित हैं, जिनमें से 73% ने किसी न किसी प्रकार की ऑनलाइन हिंसा का अनुभव किया है।**

विशेषज्ञों का कहना है, कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता ने अपराधियों के लिए महिलाओं को निशाना बनाना और भी आसान बना दिया है। **वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन (2020) के अनुसार, "आधी से अधिक युवा महिलाओं ने ऑनलाइन दुर्व्यवहार का अनुभव किया है और कोविड-19 महामारी के दौरान यह समस्या और भी गंभीर हो गई।**" अधिकांश विद्वानों का मानना है, कि कई देशों में महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा देने वाले कानून पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। साथ ही, जागरूकता की भारी कमी भी एक बड़ी समस्या है। **इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (2020) की रिपोर्ट में कहा गया, कि "केवल 26% महिलाएं जो ऑनलाइन हिंसा का शिकार हुईं, उन्हें कानूनी सहायता प्राप्त करने की जानकारी थी।**" बेहतर समझ के लिए इस शोध पत्र को कई हिस्सों में बांटा गया है। पहले भाग में मुख्य समस्या का परिचय और विषय की महत्ता बताई गई है। फिर शोध प्रश्नों और उद्देश्यों को प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और अनुसंधान पद्धति पर चर्चा की गई है। उसके पश्चात वास्तविक आंकड़ों और उदाहरणों के आधार पर विश्लेषण दिया गया है। शोध पत्र निष्कर्षों की व्यापक चर्चा के साथ आगे बढ़ता है और अंततः मुख्य निष्कर्षों और महत्वपूर्ण सुझावों के साथ समाप्त होता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध और महिलाओं पर इसके गंभीर प्रभावों की एक व्यापक और मानवीय समझ प्रदान करना है। साथ ही यह डिजिटल दुनिया को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के नए उपायों और विचारों का प्रस्ताव भी करता है।

2. समस्या की पहचान और अनुसंधान का महत्व

साइबर अपराध कोई नई अवधारणा नहीं है, लेकिन आज यह पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो गया है। ऑनलाइन दुनिया में महिलाओं पर नए और निर्मम तरीकों से हमले किए जा रहे हैं। उनका व्यक्तिगत डेटा चोरी होता है, उनकी निजी तस्वीरों का दुरुपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिये उन्हें डराया-धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। **साइबर सिविल**

राइट्स इनिशिएटिव (2021) के अनुसार, "गैर-सहमति वाली पोर्नोग्राफी के 90% पीड़ित महिलाएं हैं," जो इस अपराध के लैंगिक पक्ष को उजागर करता है।

कुछ गंभीर मामलों में, यह उत्पीड़न वास्तविक जीवन में शारीरिक नुकसान तक पहुँच जाता है। कई महिलाएँ सोशल मीडिया छोड़ने, खुद को समाज से अलग-थलग करने या चुपचाप भावनात्मक आघात सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। **मैरीलैंड विश्वविद्यालय (साइट्रॉन, 2014) के अनुसंधान के अनुसार, "साइबर उत्पीड़न से अवसाद, चिंता और PTSD (पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) जैसे गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।"** दुर्भाग्यवश, समाज अक्सर पीड़िता को दोषी ठहराने वाला दृष्टिकोण अपनाता है, बजाय इसके कि उसे सहयोग दे या अपराधी को जिम्मेदार ठहराए। बढ़ती जागरूकता और साइबर अपराध से निपटने के कुछ प्रयासों के बावजूद, महिलाएं आज भी व्यापक रूप से पीड़ा झेल रही हैं। ऑनलाइन महिलाओं के लिए सुरक्षा और सहायता प्रणालियाँ अब भी बेहद कमजोर हैं। पीड़ितों की मदद के लिए बनाए गए कानून अक्सर धीमे, जटिल और सही ढंग से लागू नहीं हो पाते। जैसा कि **एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस (2015) का कहना है, "कानूनी ढांचे अक्सर ऑनलाइन हिंसा को गंभीर अपराध के रूप में मान्यता देने में विफल रहते हैं," जिससे कई महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं।**

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के अनेक मामले रिपोर्ट तक नहीं हो पाते। **संयुक्त राष्ट्र ब्रॉडबैंड आयोग (2015) के अनुसार, "महिलाओं के खिलाफ साइबर उत्पीड़न के दस में से केवल एक मामला ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुँचता है।"** इसी कारण से, इन अपराधों की संख्या चिंताजनक गति से बढ़ रही है।

मौजूदा शोध कार्यों में भी कई महत्वपूर्ण अंतराल हैं। जहां कई अध्ययन साइबर अपराध या महिलाओं की सुरक्षा पर अलग-अलग केंद्रित हैं, वहीं दोनों विषयों को मिलाकर गहराई से अध्ययन करने वाले शोध दुर्लभ हैं। इसलिए ज़रूरत है ऐसे विस्तृत शोध की जो यह दिखाए कि साइबर अपराध किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भावनात्मक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। बहुत कम अध्ययनों ने उन गहरे भावनात्मक घावों को समझने का प्रयास किया है, जिनका सामना महिलाएं ऑनलाइन अपराधों के बाद करती हैं। जैसा कि **जेन बेली और उनके सहयोगियों (2013) ने जोर देकर कहा है, "महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा से होने वाले मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक नुकसान को अक्सर कम आँका जाता है।"** यह शोध पत्र इन्हीं महत्वपूर्ण अंतरालों को भरने और इस गंभीर समस्या की गहन व संवेदनशील समझ प्रदान करने का प्रयास करता है।

3. अनुसंधान प्रश्न, उद्देश्य और परिकल्पना

इस अध्ययन का मार्गदर्शन करने वाले **मुख्य अनुसंधान प्रश्न** इस प्रकार हैं:

- साइबर अपराध महिलाओं की सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है?
- महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार के साइबर अपराध सबसे अधिक आम हैं?
- इन अपराधों को कम करने और रोकने के लिए कौन-से उपाय किए जा सकते हैं?

अनुसंधान के उद्देश्य सरल और स्पष्ट हैं:

- **पहला उद्देश्य**, उन विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों का अध्ययन करना है, जिनका महिलाएं सामान्यतः सामना करती हैं।
- **दूसरा उद्देश्य**, यह समझना है, कि इन अपराधों का महिलाओं पर भावनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
- **तीसरा उद्देश्य**, महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रभावी और व्यावहारिक उपाय सुझाना है।

अध्ययन की सीमाएँ भी स्पष्ट हैं: यह मुख्यतः 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की उन महिलाओं पर केंद्रित है, जो सोशल मीडिया और इंटरनेट का सक्रिय उपयोग करती हैं। ऑफलाइन अपराध इस शोध के दायरे में नहीं आते।

4. सैद्धांतिक और वैचारिक ढांचा

यह शोध एक गुणात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण का पालन करता है। इसका मुख्य फोकस मात्र आँकड़ों या तकनीकी आंकड़ों पर नहीं, बल्कि पीड़ितों के वास्तविक जीवन के अनुभवों, भावनाओं और संवेदनाओं पर है। इस अध्ययन में कुछ मुख्य धारणाएँ निहित हैं:

- साइबर अपराध महिलाओं के जीवन पर गहरा और विनाशकारी प्रभाव डालता है।
- पीड़ितों के लिए मजबूत सहयोग प्रणाली और सहज रिपोर्टिंग सुविधाओं की भारी कमी है।

सैद्धांतिक ढांचा मुख्य रूप से **नारीवादी सिद्धांत** (Feminist Theory) पर आधारित है, जो इस बात को रेखांकित करता है, कि लैंगिक असमानताओं के कारण महिलाएं अतिरिक्त जोखिम और चुनौतियों का सामना करती हैं। इसके साथ ही, **रूटीन एक्टिविटी थ्योरी** (Routine Activity Theory) का भी उपयोग किया गया है, जो यह समझाने में मदद करती है, कि अपराध तब होता है जब तीन कारक एक साथ मौजूद होते हैं:

- एक प्रेरित अपराधी,
- एक उपयुक्त लक्ष्य, और
- एक सक्षम अभिभावक की अनुपस्थिति।

वैचारिक ढांचा विशिष्ट साइबर अपराध गतिविधियों जैसे कि ऑनलाइन स्टॉकिंग, साइबरबुलिंग और निजी डेटा लीक को उनके नकारात्मक प्रभावों, भय, आघात और अवसाद से जोड़ता है। साथ ही, यह समाधान भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि मजबूत कानूनों का निर्माण, डिजिटल शिक्षा में सुधार और जन-जागरूकता बढ़ाना।

5. अनुसंधान पद्धति

यह अनुसंधान एक **गुणात्मक दृष्टिकोण** का अनुसरण करता है, जो मुख्यतः उन महिलाओं के साक्षात्कारों पर आधारित है, जो साइबर अपराध का शिकार हुई हैं। साथ ही वास्तविक पुलिस रिकॉर्ड और ऑनलाइन मामले रिपोर्टों के विश्लेषण पर टिका है। अनुसंधान डिज़ाइन **खोजपरक** (Exploratory) प्रकृति का है। इसका उद्देश्य महिलाओं के साइबर अपराध अनुभवों के पीछे छिपे रुझान, नए तथ्य, और गहरे अर्थों की खोज करना है। मुख्य अनुसंधान विधियों में पीड़ितों के साथ गहन साक्षात्कार करना, मीडिया रिपोर्टों का अध्ययन करना, और आधिकारिक अपराध डेटा का विश्लेषण करना शामिल है।उपयोग किए गए उपकरणों में प्रश्नावली और खुली चर्चा भी शामिल हैं। इस अध्ययन में नैतिक पहलुओं का विशेष ध्यान रखा गया है। पीड़ितों की निजता का पूर्ण सम्मान किया गया है, अनुमति के बिना किसी का असली नाम या निजी जानकारी साझा नहीं की गई है। प्रत्येक कहानी को अत्यंत संवेदनशीलता, गरिमा, और पीड़ितों द्वारा झेले गए दर्द के प्रति सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया है।

6. विश्लेषण और निष्कर्ष

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध हर दिन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इंटरनेट, जिसे कभी जीवन को आसान और लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। आज कई महिलाओं के लिए एक खतरनाक जगह भी बन गया है। जहाँ एक ओर तकनीक ने नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर यह नए जोखिम भी लेकर आई है। जैसा कि, **संयुक्त राष्ट्र महिला (2021) ने रेखांकित किया है, "महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा एक तेजी से बढ़ती वैश्विक समस्या है, जो अक्सर ऑफलाइन हिंसा को भी दोहराती और मजबूत करती है।"**

इस खंड में, हम विस्तार से देखेंगे:

- महिलाओं को लक्षित करने वाले विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध,
- इन अपराधों का महिलाओं पर पड़ने वाला प्रभाव, और
- पीड़ितों के वास्तविक जीवन के उदाहरण।

साथ ही, हम उन प्रमुख पैटर्न्स का भी विश्लेषण करेंगे जो अनुसंधान और साक्षात्कारों से उभर कर आए हैं। साइबर अपराध केवल यादृच्छिक घटनाएँ नहीं हैं, वे अक्सर एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अगर समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाना है, तो इन पैटर्न्स को समझना बेहद ज़रूरी है। **वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन (2020) के शोध के अनुसार, "सर्वेक्षण में शामिल आधी से अधिक युवा महिलाओं ने ऑनलाइन दुर्व्यवहार का अनुभव किया है," जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।** जैसे-जैसे सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे ऑनलाइन अपराधियों के लिए तकनीक का दुरुपयोग करने के मौके भी बढ़ रहे हैं।

6.1 महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के प्रकार

(1) साइबर स्टॉकिंग (Cyber Stalking): महिलाओं के खिलाफ सबसे आम साइबर अपराधों में से एक है, साइबर स्टॉकिंग। यह तब होता है, जब कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना बार-बार उसका ऑनलाइन पीछा करता है। उस पर नजर रखता है या संपर्क करने की कोशिश करता है। स्टॉकर सैकड़ों संदेश भेज सकता है, उसकी पोस्ट पर नजर रख सकता है या उसे धमकियाँ भी दे सकता है। कई महिलाओं ने बताया, कि उन्हें "लगातार नजर रखे जाने का अहसास" होता है (Citron, 2014)। इससे उनमें तनाव, चिंता और इंटरनेट के उपयोग से डर पैदा हो जाता है।

(2) ऑनलाइन उत्पीड़न (Online Harassment): यह भी एक सामान्य समस्या है, जिसमें अश्लील संदेश भेजना, अभद्र टिप्पणियाँ करना या सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से महिलाओं को निशाना बनाना शामिल है। **प्यू रिसर्च सेंटर (Duggan, 2017) के अनुसार, "युवा महिलाओं को विशेष रूप से गंभीर प्रकार के ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसमें शारीरिक धमकी और पीछा करना शामिल है।"** कुछ लोग तो केवल महिलाओं को अपमानित करने के लिए घृणा फैलाने वाले पेज या समूह भी बनाते हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराता है और उनके भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है।

(3) मॉर्फिंग और छवि का दुरुपयोग (Morphing and Image Misuse): इसमें अपराधी किसी महिला की तस्वीर को उसकी अनुमति के बिना एडिट कर अश्लील या नकली चित्रों पर चिपका देते हैं। फिर इन्हें सार्वजनिक रूप से फैलाया जाता है ताकि उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया जा सके। **साइबर सिविल राइट्स इनिशिएटिव (2021) के अनुसार, "गैर-सहमति वाली पोर्नोग्राफी के 90% पीड़ित महिलाएं हैं।"** मॉर्फिंग की शिकार महिलाएं अक्सर इतनी अपमानित महसूस करती हैं, कि वे सामाजिक जीवन से कटने लगती हैं।

(4) रिवेंज पोर्न (Revenge Porn): यह साइबर अपराध का एक बेहद खतरनाक रूप है। जब किसी महिला की निजी तस्वीरें या वीडियो उसकी अनुमति के बिना, अक्सर किसी पूर्व साथी द्वारा, ऑनलाइन साझा किए जाते हैं, तो इसे रिवेंज पोर्न कहा जाता है। **बेट्स (2017) के अनुसार, "रिवेंज पोर्न के पीड़ितों को दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अवसाद और PTSD का सामना करना पड़ता है।"** इससे महिलाओं में बेहद गहरा भावनात्मक आघात, शर्मिंदगी, और अकेलेपन का डर पैदा हो जाता है।

(5) फ़िशिंग और डेटा चोरी (Phishing and Data Theft): फ़िशिंग हमलों में महिलाओं को धोखे से उनकी निजी जानकारी, पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल साझा करने के लिए फुसलाया जाता है। इसके बाद हैकर्स इस जानकारी का दुरुपयोग करते हैं, चाहे पैसे चुराना हो, पहचान चुरानी हो या अन्य अपराध करना हो।

(6) ट्रोलिंग और चरित्र हनन (Trolling and Character Assassination): खासकर वे महिलाएं जो खुलकर अपने विचार व्यक्त करती हैं, जैसे कि कार्यकर्ता, राजनेता, अभिनेत्री और पत्रकार, ट्रोलिंग का शिकार बनती हैं। **इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (2020) ने भी बताया कि "पत्रकार और सार्वजनिक हस्तियां ऑनलाइन दुर्व्यवहार का अत्यधिक सामना करती हैं।"** ट्रोल्स उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं, अपमानजनक बातें फैलाते हैं और उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुँचाते हैं। इससे महिलाओं की सार्वजनिक मंचों पर भागीदारी में कमी आती है।

6.2 महिलाओं पर साइबर अपराध के प्रभाव

साइबर अपराध न तो छोटे अपराध हैं और न ही हानिरहित। इनका महिलाओं के जीवन पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। साक्षात्कारों, वास्तविक जीवन की कहानियों और केस स्टडीज़ के आधार पर कई बड़े प्रभाव सामने आए हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ इनमें सबसे प्रमुख हैं। कई पीड़ित महिलाएं अवसाद (Depression), चिंता (Anxiety) और गंभीर मामलों में पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से ग्रसित पाई गईं। **हेनरी और पॉवेल (2015) के अनुसंधान के अनुसार, "प्रौद्योगिकी-सुविधा प्राप्त यौन हिंसा के शिकार व्यक्तियों में भय, अपमान और गहरे मनोवैज्ञानिक संकट के उच्च स्तर देखे जाते हैं।"** पीड़ितों ने साझा किया, कि हमलों के बाद उन्हें नींद आने में कठिनाई हुई, दूसरों पर विश्वास करना मुश्किल हो गया और वे हमेशा डर के साए में जीने लगे। कुछ ने तो फोन पर नोटिफिकेशन आते ही घबराहट के दौरे (Panic attacks) तक की शिकायत की।

सामाजिक अलगाव (Social Isolation) एक और सामान्य प्रभाव है। ऑनलाइन उत्पीड़न झेलने के बाद कई महिलाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर देती हैं। दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ देती हैं या नए लोगों से मिलने से बचती हैं, क्योंकि उन्हें फिर से निशाना बनाए जाने का डर होता है। जैसा कि, **संयुक्त राष्ट्र महिला (2021) ने उल्लेख किया है, "ऑनलाइन हिंसा के प्रभाव अक्सर ऑफलाइन भी महसूस किए जाते हैं, जिससे महिलाएं अपने समुदायों और सहायता नेटवर्क से कट जाती हैं।"**

प्रतिष्ठा को नुकसान एक और बेहद दर्दनाक परिणाम है। झूठे आरोप, लीक हुई निजी तस्वीरें या नकली प्रोफाइल किसी महिला की सार्वजनिक छवि को तहस-नहस कर सकते हैं। भले ही, ऐसी सामग्री बाद में हटा दी जाए, लेकिन यह तेज़ी से फैल जाती है और लोगों के दिमाग में बनी रहती है। एक बार बिगड़ी प्रतिष्ठा को फिर से बनाना अत्यंत कठिन और पीड़ादायक होता है।

आर्थिक नुकसान भी कम गंभीर नहीं है। आज कई महिलाएं ऑनलाइन बिजनेस चलाती हैं या ऐसी नौकरियों में हैं जहाँ एक साफ-सुथरी डिजिटल प्रोफ़ाइल बेहद जरूरी है। प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचने पर वे ग्राहक खो देती हैं, नौकरी गंवा सकती हैं या महत्वपूर्ण अवसरों से वंचित रह सकती हैं। **एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव आयोग (2015) के अनुसार, "प्रौद्योगिकी-संबंधी हिंसा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर गहरा असर डाल सकती है।"** कुछ मामलों में तो महिलाओं को अपने व्यवसाय तक बंद करने पड़े हैं।

अंततः, शारीरिक खतरे का डर भी बना रहता है। कभी-कभी ऑनलाइन स्टॉकिंग, वास्तविक जीवन में पीछा करने तक पहुँच जाती है। हमलावर महिलाओं के घर या कार्यस्थल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न के बाद वास्तविक शारीरिक हमलों का भी सामना करना पड़ा है। **संयुक्त राष्ट्र ब्रॉडबैंड आयोग (2015) ने इस पर जोर देते हुए कहा है, "ऑनलाइन धमकियाँ अक्सर ऑफलाइन हिंसा में बदल जाती हैं, जिससे साइबर हिंसा एक वास्तविक दुनिया की समस्या बन जाती है।"**

इन सभी प्रभावों से यह साफ जाहिर होता है, कि साइबर अपराध कोई मामूली समस्या नहीं है। यह महिलाओं के मस्तिष्क, हृदय, परिवार, कार्यक्षेत्र और सुरक्षा की भावना, हर पहलू को प्रभावित करता है।

6.3 वास्तविक जीवन के उदाहरण

वास्तविक जीवन की कहानियाँ साइबर अपराध के प्रभाव को और भी गहराई से समझने में मदद करती हैं। आइए, तीन उदाहरणों पर नजर डालें:

• प्रिया की कहानी (परिवर्तित नाम) (भारत)

प्रिया एक कॉलेज छात्रा थी, जिसे अपनी कला और तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करना बेहद पसंद था। एक दिन, एक अजनबी ने इंस्टाग्राम पर उसे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। जब प्रिया ने उसे ब्लॉक कर दिया, तो उसने कई फर्जी अकाउंट बनाकर उसे परेशान करना जारी रखा। कुछ समय बाद, प्रिया ने पाया, कि उसका चेहरा गंदी तस्वीरों पर मॉर्फ कर दिया गया था और सार्वजनिक समूहों में शेयर किया जा रहा था। इस घटना ने उसे गहरे अवसाद में धकेल दिया, और उसे ठीक होने के लिए कॉलेज से छह महीने का ब्रेक लेना पड़ा। ऐसे मामले दुर्लभ नहीं हैं; **साइबर पीस फाउंडेशन (2021) के अनुसार, "भारत में 52% से अधिक महिला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने किसी न किसी रूप में साइबर उत्पीड़न का अनुभव किया है।"**

• एमिली की कहानी (परिवर्तित नाम) (संयुक्त राज्य अमेरिका)

एमिली एक पत्रकार थीं, जो महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के मुद्दों पर खुलकर बोलती थीं। जल्द ही ट्रोल्स ने उन्हें जान से मारने की धमकियाँ और फर्जी खबरें फैलाकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। भावनात्मक दबाव इतना बढ़ गया कि एमिली को ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने पड़े। उन्होंने कई महीनों तक भावनात्मक आघात से जूझने के बाद ही खुद को संभालकर सार्वजनिक जीवन में वापसी की।

• मरियम की कहानी (परिवर्तित नाम) (संयुक्त अरब अमीरात)

मरियम एक युवा उद्यमी थीं, जो इंस्टाग्राम के माध्यम से अपना सफल व्यवसाय चला रही थीं। एक दिन, उनका व्यावसायिक पेज हैक हो गया और हैकर ने उस पर अनुचित तस्वीरें पोस्ट कर दीं, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। इस हमले के बाद मरियम ने कई वफादार ग्राहकों को खो दिया और अपने ब्रांड व विश्वास को दोबारा बनाने में कई महीने लगाए।

इन वास्तविक उदाहरणों से स्पष्ट होता है, कि हर साइबर अपराध के पीछे एक वास्तविक व्यक्ति की कहानी होती है। ऐसा व्यक्ति जो भय, दर्द और नुकसान झेलता है।

6.4 प्रमुख पैटर्न जो सामने आए

सभी अनुसंधान और विश्लेषणों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न स्पष्ट रूप से सामने आए:

पहला, 18 से 30 वर्ष की आयु की युवा महिलाएं साइबर अपराध से सबसे अधिक प्रभावित समूह हैं। **संयुक्त राष्ट्र महिला (2021) के अनुसार, "युवा महिलाएं, विशेष रूप से 18 से 30 वर्ष के बीच की, साइबर हिंसा की चपेट में आने के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।"**

दूसरा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म वे मुख्य स्थान हैं, जहाँ साइबर अपराध सबसे अधिक होते हैं। खुले प्रोफाइल, व्यक्तिगत जानकारी साझा करना और सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेना महिलाओं को जोखिम में डालता है।

तीसरा, कई मामलों में पीड़ित अपने हमलावरों को व्यक्तिगत रूप से जानती थीं। ये हमलावर अक्सर पूर्व प्रेमी, सहपाठी या सहकर्मी होते हैं, जो विश्वास और व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करते हैं। **इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (2020) की रिपोर्ट के अनुसार, "कई ऑनलाइन हमले पीड़िता के परिचित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं।"**

चौथा, बहुत कम महिलाएं साइबर अपराधों की आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट करती हैं। फैसले का डर, लंबी कानूनी प्रक्रिया और कमजोर नतीजे उन्हें न्याय मांगने से रोकते हैं। इसके अलावा, सामाजिक बदनामी का भय और कमजोर कानूनों की वजह से भी कई महिलाएं चुप रह जाती हैं। **संयुक्त राष्ट्र ब्रॉडबैंड आयोग (2015) के अनुसार, "ऑनलाइन उत्पीड़न की केवल दस में से एक घटना ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट की जाती है।"**

7. चर्चा

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध केवल तकनीकी या पुलिस से जुड़ी समस्या नहीं है। यह एक गहरा सामाजिक मुद्दा है, जो लैंगिक असमानता, पुरानी सोच और कानूनी व्यवस्थाओं की विफलताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसा कि, **संयुक्त राष्ट्र महिला (2021) ने रेखांकित किया है, "साइबर हिंसा लिंग आधारित हिंसा, भेदभाव और प्रणालीगत असमानता के व्यापक पैटर्न में निहित है।"**

7.1 लिंग आधारित निशाना बनाना

महिलाओं को अक्सर केवल इसलिए निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वे महिलाएं हैं। कई हमलावर महिलाओं को "आसान लक्ष्य" मानते हैं, जो प्रतिकार नहीं करेंगी। जो महिलाएं स्वतंत्र, सशक्त और ऑनलाइन मुखर होती हैं, उन्हें और अधिक निशाना बनाया जाता है। **वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन (2020) के अनुसार, "जो महिलाएं अधिक मुखर, दृश्यमान और प्रभावशाली हैं, उनके साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार की संभावना अधिक होती है।"** ये हमले यादृच्छिक नहीं होते, वे उस मानसिकता से आते हैं, जो महिलाओं को नियंत्रित करना चाहती है और पारंपरिक भूमिकाओं को तोड़ने वाली

महिलाओं को दंडित करना चाहती है। जैसा कि, प्रसिद्ध विचारक सिमोन द बोउवार ने कहा था, **"कोई महिला पैदा नहीं होती, बल्कि समाज उसे महिला बनाता है।"** (de Beauvoir, 1949/2011)। जब महिलाएं उन पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलती हैं, जिन्हें समाज ने उनके लिए तय कर रखा है तो वे हमलों का शिकार बनती हैं, अब डिजिटल दुनिया में भी।

7.2 समाज द्वारा पीड़ित को दोषी ठहराना

एक दुखद सच्चाई यह है, कि समाज अक्सर अपराधी को नहीं, बल्कि पीड़ित महिला को दोषी ठहराता है। जब महिलाएं ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करती हैं, तो लोग पूछते हैं: "तुमने वह फोटो क्यों डाली?" या "सोशल मीडिया पर इतनी सक्रिय क्यों हो?" इसके बजाय कि उन्हें सहारा दिया जाए, उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। **एमनेस्टी इंटरनेशनल (2018) के शोध में पाया गया कि "पीड़िता को दोष देने वाली सोच, ऑनलाइन दुर्व्यवहार झेलने वाली महिलाओं को और अधिक अलग-थलग कर देती है और उन्हें सहायता मांगने से हतोत्साहित करती है।"** इस तरह की प्रतिक्रियाएं न केवल महिलाओं को चुप कराती हैं, बल्कि अपराधियों को भी और अधिक निर्भय बनाती हैं।

सही सवाल यह होना चाहिए: महिलाएं ऑनलाइन क्यों हैं, यह नहीं; बल्कि कुछ पुरुष तकनीक का दुरुपयोग करके महिलाओं को नुकसान पहुँचाने का अधिकार क्यों समझते हैं?

7.3 कानूनी और नीतिगत खामियाँ

भले ही, कई देशों में महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन वे अक्सर कमजोर, पुराने या अपर्याप्त रूप से लागू होते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E और धारा 67 जैसे प्रावधान ऑनलाइन अपराधों को दंडित करते हैं। फिर भी, अधिकांश मामलों में न्याय पाने में वर्षों लग जाते हैं। **इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (2021) के अनुसार, "भारत में साइबर अपराधों, विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाने वाले अपराधों में दोषसिद्धि दर अत्यंत चिंताजनक रूप से कम है।"**

संयुक्त राज्य अमेरिका में, "Violence Against Women Act" जैसे कानूनों में साइबर स्टॉकिंग शामिल है, लेकिन प्रवर्तन अब भी धीमा और बिखरा हुआ है। **डोमेस्टिक वॉयलेंस समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क (NNEDV, 2020) बताता है कि "प्रौद्योगिकी-संबंधी दुरुपयोग को अक्सर कानून प्रवर्तन द्वारा सही ढंग से नहीं समझा जाता, जिससे सुरक्षा और जवाबदेही में गंभीर अंतर आ जाता है।"** पीड़ितों को ऐसी कानूनी प्रणालियों की आवश्यकता है, जो तेज, सरल, और उनके भावनात्मक दर्द के प्रति संवेदनशील हों। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कई महिलाएं चुपचाप पीड़ित होती रहेंगी।

7.4 मनोवैज्ञानिक प्रभाव

साइबर अपराधों से उत्पन्न होने वाले भावनात्मक घाव गहरे और दीर्घकालिक होते हैं। कई महिलाएं आत्मविश्वास खो देती हैं, लगातार भयभीत रहती हैं, और अवसाद या पीटीएसडी (पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) जैसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हो जाती हैं। **हेनरी और पॉवेल (2018) के एक अध्ययन में बताया गया है, कि "प्रौद्योगिकी-सहायित यौन हिंसा शारीरिक हिंसा के समान गहरे और स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है।"**

कुछ पीड़िताएं खुद को नुकसान पहुँचाने के बारे में भी सोचने लगती हैं। जैसा कि, अरस्तू ने कहा था, **"आत्मा कभी बिना तस्वीर के नहीं सोचती"** (अरस्तू, अनुवाद, 1984)। ऑनलाइन अपने चेहरे का दुरुपयोग होते देखना ऐसा दर्दनाक अनुभव बन जाता है, जो दिमाग में एक बदसूरत तस्वीर की तरह हमेशा के लिए रह जाता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता।

7.5 शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता

शिक्षा साइबर अपराधों को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों को ऑनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता, और साइबर कानूनों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को, 2019) के अनुसार, "डिजिटल नागरिकता शिक्षा साइबर हिंसा के खिलाफ व्यक्तियों को सशक्त बनाने की कुंजी है।"**

परिवारों को पीड़ितों का समर्थन करना चाहिए, उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। समाज को भी महिलाओं को ऑनलाइन सक्रिय होने के लिए शर्मिंदा करना बंद करना चाहिए। साइबर आत्मरक्षा को शिक्षा का नियमित हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जब लोग खुद को सुरक्षित रखने के तरीके जानते हैं, तो वे फंसने की संभावना कम कर लेते हैं और अपराधियों के सफल होने की संभावना भी घट जाती है। जब लक्षित व्यक्ति जागरूक और सतर्क होते हैं, तो अपराधी अपने मंसूबों में असफल रहते हैं।

7.6 प्रौद्योगिकी कंपनियों की भूमिका

फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्हें दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए मजबूत और सरल उपकरण तैयार करने चाहिए। जैसा कि, **वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (2021) ने भी ज़ोर देकर कहा है, "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति देखभाल का कर्तव्य है, और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई न करना सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है।"**

हानिकारक सामग्री को तुरंत हटाना चाहिए और पीड़ितों को बिना देरी के सहायता मिलनी चाहिए। जैसे-जैसे तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, वैसे-वैसे इन कंपनियों की जवाबदेही भी बढ़नी चाहिए।

8. निष्कर्ष

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध आज एक तेजी से बढ़ता और खतरनाक खतरा बन गया है। यह उनकी स्वतंत्रता, गरिमा, सुरक्षा, और मानसिक स्वास्थ्य को गहरा नुकसान पहुँचाता है। इस शोध ने दिखाया हैं, कि महिलाएं कई प्रकार के साइबर अपराधों का शिकार होती हैं और इनके भावनात्मक, सामाजिक, तथा आर्थिक प्रभाव बहुत गंभीर होते हैं।

अध्ययन में यह भी पाया गया, कि समाज अक्सर पीड़ितों को ही दोषी ठहराता है और हमारी कानूनी प्रणालियाँ आज भी धीमी और कमजोर हैं। जन जागरूकता कम है और पीड़ितों को समय पर मदद मिलना बेहद कठिन है। फिर भी, अगर सही कदम उठाए जाएं, तो बदलाव संभव है।

इस शोध के प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं:

- साइबर अपराध मुख्यतः युवा महिलाओं को निशाना बनाते हैं,
- इनके भावनात्मक और मानसिक प्रभाव बेहद गंभीर हैं,
- समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाना आवश्यक है,
- कानूनों को सशक्त और त्वरित बनाया जाना चाहिए,
- और प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

कुछ लोग सुझाव देते हैं, कि महिलाएं ऑनलाइन पोस्ट करने से बचें। हालांकि, इस शोध से स्पष्ट होता है, कि समस्या महिलाओं की आजादी नहीं है, बल्कि अपराधियों के व्यवहार में है। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह स्वतंत्रता के साथ अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। साइबर अपराध सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है। यह एक महिला अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, और सामाजिक न्याय का मुद्दा भी है। इससे लड़ने के लिए कई ठोस कदम उठाने होंगे:

- बेहतर कानून,
- बेहतर शिक्षा,

© Shiksha Samvad | Received: 25 May-2026 | Accepted: 05 June - 2026 | Published: 12 June - 2026

- पीड़ितों के लिए भावनात्मक सहायता,
- और समाज की सोच में बदलाव इत्यादि।

यह भी ध्यान देना जरूरी है, कि यह अध्ययन मुख्यतः शहरी महिलाओं पर केंद्रित था। ग्रामीण महिलाओं को अलग और कई बार इससे भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, डर और सामाजिक शर्म के कारण कई पीड़ित अपने अनुभव साझा नहीं कर पाईं, इसलिए समस्या का असली आकार यहां दिखाए गए से भी कहीं बड़ा हो सकता है।

जैसा कि, महात्मा गांधी ने कहा था, "*किसी भी समाज का असली मापदंड इस बात में छुपा है, कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है*" महिलाएं सम्मान, गरिमा, और सुरक्षा की हकदार हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। अब समय आ गया है, कि सरकारें, समाज और प्रौद्योगिकी कंपनियां मिलकर एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाएं। जहाँ महिलाएं खुद को सुरक्षित, सशक्त, और स्वतंत्र महसूस कर सकें।

9. संदर्भ ग्रंथ सूची

- एमनेस्टी इंटरनेशनल. (2018). *टॉक्सिक ट्विटर: ए टॉक्सिक प्लेस फॉर वीमेन.* https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-1/
- एरिस्टोटल. (1984). दी एनिमा (जे. ए. स्मिथ, अनुवाद). इन जे. बार्नेस (एड.), *द कम्प्लेट वर्क्स ऑफ़ एरिस्टोटल* (Vol. 1). प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस. (मूल कृति ca. 350 B.C.E.)
- एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कोम्मुनिकतिओन्स. (2015). *फ्रॉम इम्पुनिटी टू जस्टिस: इम्प्रोविंग कॉर्पोरेट पॉलिसीस टू एन्ड टेक्नोलॉजी-रिलेटेड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन.* https://www.apc.org/en/pubs/impunity-justice-improving-corporate-policies-end-technology-related-violence-against-women
- बेली, जे., स्टीवेस, वी., बुर्केल्ल, जे., & रेगन, पी. (2013). नेगोतिअटिंग विद जेंडर स्तेरेओत्यपेस ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स: फ्रॉम "बाइसिकल फेस" टू फेसबुक. *जर्नल ऑफ़ कम्युनिकेशन इन्क्वायरी, 37*(2), 91–112. https://doi.org/10.1177/0196859913478541
- बटेस, सा. (2017). रिवेंज पोर्न एंड मेन्टल हेल्थ: ए क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द मेन्टल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ रिवेंज पोर्न ऑन फीमेल सुर्विवोर्स. *फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी, 12*(1), 22–42. https://doi.org/10.1177/1557085116654565
- सित्रों, डी. के. (2014). *हेट क्राइम इन् साइबरस्पेस.* हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- साइबर सिविल राइट्स इनिशिएटिव. (2021). *डाटा एंड रिसर्च.* https://www.cybercivilrights.org/research/
- साइबर पीस फाउंडेशन. (2021). *साइबर क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया.* https://www.cyberpeace.org
- दाजनी, ऍच. (2024, नवंबर 13). यूएइ: एक्सपट ब्लॉक्ड फ्रॉम इन्स्ताग्राम अकाउंट; फोल्लोवेर्स एन्ड अप लोसिंग थौसंड्स ऑफ़ दिर्हम्स. *ख़लीज टाइम्स.* https://www.khaleejtimes.com/uae/uae-bitcoin-hackers-steal-thousands-of-dirhams-from-victims-instagram-followers
- दस्तागिर, ए. (2025). *टू डोस हु हैव कन्फ्यूज्ड यू टू बी ए पर्सन.* क्राउन.
- दी. बोउवार, एस. (2011). *द सेकंड सेक्स* (सी. बोरदे & एस. मलोवान्य-चेवल्लिएर, ट्रान्स.).
- दुग्गन, ऍम. (2017). *ऑनलाइन हरास्स्मेंट 2017.* प्यू रिसर्च सेंटर. https://www.pewresearch.org/internet/2017/07/11/online-harassment-2017/
- इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. (2020). *मेअसुरिंग द प्रेवालेंस ऑफ ऑनलाइन वायलेंस अगेन्स्ट वीमेन.* https://onlineviolencewomen.eiu.com/

- फेमिनिज्म इन इंडिया & फ्रीडम हाउस. (2016). *वायलेंस ऑनलाइन इन इण्डिया: साइबर क्राइम अगेन्स्ट वीमेन एंड माइनॉरिटीज ऑन सोशल मीडिया.* https://feminisminindia.com/2016/11/15/cyber-violence-against-women-india-report/
- हेनरी, एन., & पॉवेल, ए. (2015). एम्बोदिएद हर्म्स: जेंडर, शेम, एंड टेक्नोलॉजी-फसिलितातेद सेक्सुअल वायलेंस. *वायलेंस अगेन्स्ट वीमेन, 21*(6), 758–779. https://doi.org/10.1177/1077801215576581
- हेनरी, एन., & पॉवेल, ए. (2018). टेक्नोलॉजी-फसिलितातेद सेक्सुअल वायलेंस: ए लिटरेचर रिव्यु ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च. *ट्रामा, वायलेंस, & एब्यूज, 19*(2), 195–208. https://doi.org/10.1177/1524838016650189
- इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन. (2021). *साइबरक्राइम्स अगेंस्ट वीमेन इन इण्डिया: गैप्स इन एन्फोर्समेंट.* https://internetfreedom.in/cybercrimes-against-women-report
- नेशनल नेटवर्क टू एंड डोमेस्टिक वायलेंस (NNEDV). (2020). *टेक एब्यूज इन 2020.* https://nnedv.org/latest_resources/tech-abuse-2020/
- नोर्टनलाइफलॉक. (2022). साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट: स्पेशल रिलीज़ – वीमेन एंड साइबरसिक्यूरिटी. https://www.nortonlifelock.com/us/en/cyber-safety-insights/women-and-cybersecurity/
- यूएन ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. (2015). *साइबर वायलेंस अगेन्स्ट वीमेन एंड गर्ल्स: ए वर्ल्डवाइड वेक-अप कॉल.* https://www.broadbandcommission.org/publications/cyber-violence-against-women-and-girls/
- यूएन वीमेन. (2021). *मेअसुरिंग दी शैडो पान्डेमिक: वायलेंस अगेन्स्ट वीमेन दुरिंग कोविद-19.* https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
- यूनेस्को. (2019). *डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेशन हैंडबुक.* https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367820
- सयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम कार्यालय.(UNODC). (2020). *द इम्पैक्ट ऑफ कोविद-19 ऑन आर्गनाइज्ड क्राइम.* https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/Impact_of_COVID-19_on_Organized_Crime_May_2020_UNODC.pdf
- वर्ल्ड इकनोमिक फोरम. (2021). *ऑनली ए ग्लोबल रिस्पांस कैन टैकल द राइज ऑफ ऑनलाइन हर्म्स.* https://www.weforum.org/stories/2021/08/only-global-response-tackle-rise-online-harms/
- वर्ल्ड वाइड वेबफाउंडेशन. (2020). *द ऑनलाइन क्राइसिस फेसिंग वीमेन एंड गर्ल्स.* https://webfoundation.org/docs/2020/03/Online-abuse-briefing.pdf

Cite this Article:

श्वेता, "साइबर अपराध और महिला सुरक्षा"Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 04, Pp.88-98, June-2026. Journal URL: https://shikshasamvad.com/

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

श्वेता

For publication of research paper title

साइबर अपराध और महिला सुरक्षा

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-04, Month June 2026.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/

DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.10